प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
दिनांक 22.09.2025

पुलिस मुठभेड़

थाना औंग क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 15.09.2025 को ग्राम रानीपुर में बन्द पड़ी चमड़ा फैक्ट्री में अज्ञात महिला की हत्या कर शव को जला देने की घटना का सफल अनावरण। पुलिस मुठभेड में मुख्य शातिर अभियुक्त सहित एक अन्य अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंचा, दो अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित एक मोटर साइकिल, दो मोबाइल फोन व 550/- रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण- जनपदीय एसओजी, इन्टेलीजेन्स विंग व थाना औंग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21/22.09.2025 की रात्रि थाना औंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम रानीपुर पुल के पास चेकिंग दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चमड़ा फैक्ट्री में महिला की हत्या कर शव को जला देने की घटना में संलिप्त अभियुक्त खानपुर होकर बड़ाहार की तरफ जा रहे है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सतर्क होकर मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर मोड़कर भागने के प्रयास पर अनियंत्रित होकर गिर गये कि स्वयं को पुलिस से घिरता देख एक व्यक्ति पुलिस टीम पर लक्ष्य कर फायर करने लग कि आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा की गयी फायरिंग में अभि0 दीपू पासी पुत्र स्व0अमर सिंह के बायें पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरे अभि0 सनी यादव पुत्र राजेन्द्र को टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर घायल को इलाज हेतु सीएचसी गोपालगंज ले जाया गया।

अनावरित घटना का विवरण- दिनांक 15.09.2025 को थाना औंग क्षेत्रान्तर्गत बन्द पडी चमडे फैक्ट्री बहदग्राम रानीपुर में एक अज्ञात महिला को मार कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव पर पेट्रोल डाल कर जला देने की घटना के सम्बन्ध में थाना औंग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात के अनावरण हेतु तीन टीमों का गठन किया गया था। अज्ञात मृतका के शव की शिनाख्त हेतु निरंतर प्रयास के क्रम में मृतका की पहचान रेशमा पत्नी दीपू पासवान निवासी गंगागंज थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। पति दीपू पासवान पुत्र स्व0अमर सिंह के द्वारा अपने साथी सनी यादव पुत्र राजेन्द्र निवासी सुभौली थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर के सहयोग से पत्नी रेशमा की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आशय से पेट्रोल डालकर कर जला दिया गया। साथ ही पुलिस को गुमराह करने व अपने बचाव में दीपू पासवान द्वारा थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर में मृतका के सम्बन्ध में गुमशुदगी दिनांक 15.09.2025 को अंकित करा दी गयी। मृतका के मायके पक्ष द्वारा मृतका के चश्पा किये गये पम्पलेट तथा मृतका के शव के पास से बरामद वस्तुओं से शिनाख्त की गयी तथा अभियुक्त 01.दीपू पासी पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी ग्राम गंगागंज थाना महराजपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष 02.सनी यादव पुत्र राजेन्द्र निवासी सुभौली थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

वर्तमान में की गयी कृत कार्यवाही का विवरणः- उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना औंग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 106/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना औंग जनपद फतेहपुर पंजीकृत कर विधिसंगत कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी से अपराध व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः--
1. दीपू पासी पुत्र स्व0 अमर सिंह निवासी ग्राम गंगागंज थाना महराजपुर कानपुर नगर उम्र 20 वर्ष।(घायल)
2. सनी यादव पुत्र राजेन्द्र निवासी सुभौली थाना महराजपुर जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर ,
2. दो खोखा कारतूस 315 बोर
3. एक जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्पेन्डर प्लस UP 78HM 6904
5. एक अदद मोबाइल OPPO कम्पनी
7. एक अदद मोबाइल NARZO कम्पनी
8. 550/- रूपये

A- गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना औंग —

1. थानाध्यक्ष हनुमान प्रताप सिंह थाना औंग जनपद फतेहपुर।
2.उ0नि0 रामानुज यादव
3. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला
4. उ0नि0 विकास वर्मा 05. हे0का0 विनीत कुमार
6. का0 सुनील कुमार यादव
7. का0 अनिल कुमार यादव

B- गिरफ्तारी करने वाली टीम एसओजी-

1. निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी एसओजी
2. हे0का0 शैलेन्द्र कुशवाहा
3. हे0का0 विपिन मिश्रा
4. का0 अतुल त्रिपाठी,
5. का0 अभिमन्यू पटेल
6. का0 अमन सिंह
7. का0 बृजेश कुमार पाल
8. का0 राहुल कुमार

C- गिरफ्तारी करने वाली टीम इन्टेलीजेन्स विंग-

1. उ0नि0 विनोद मिश्रा इन्टेलीजेन्स प्रभारी
2. हे0का0 मनोज मौर्या
3. का0 प्रमोद कुमार
4. का0 राज कुमार
5. का0 विकास कुमार
6. का0 राम सिंह
7. का0 जय प्रकाश
8. का0 हरीश कुमार
9. का0 पवन चौधरी

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर